[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 05 मार्च, 2021
14 फाल्गुन, 1942 (शक)

का.आ. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,सारणी में, बंगलादेश के भूसीमांत क्षेत्र से संबंधित क्रम सं. 2 के समक्ष, कॉलम (3) में मद सं. (61) और कॉलम (4) की उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (3) और (4) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(62) त्रिबेणी (बंदेल), पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में	भारत और बंगलादेश के बीच अंतरदेशीय जल परिवहन एवं व्यापार नयाचार के अनुसार भारत के त्रिबेणी (बंदेल) को बंगलादेश से जोड़ने वाला नदी मार्ग"।

(फाइल संख्या 552/29/2017-एलसी)

(बुलो मामु)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 63/1994- सीमाशुल्क(गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को सा. का. नि. 830(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 111/2020-सीमाशुल्क(गै.टे.), दिनांक 11 दिसम्बर, 2020, जिसे सा. का. नि. 4517 (अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।